



मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

CIN: U40109MP2001SGC014882 Web: mppgcl.mp.gov.in

कार्यालय अधीक्षण अभियंता (संचा - संधा)

2x45 मेगावाट रानी अवन्तीबाई सागर जल विद्युत गृह बरगी नगर, जबलपुर (म.प्र.) 482056

(ईमेल: seoandmbargi@gmail.com)

राक्षण
क्र-10

क.प्र.

क.अय/संचा-संधा/बरगी/678

बरगी नगर दिनांक 28/09/2026

अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत आई. टी. आई. अप्रेंटिस (एक वर्षीय) शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु आवेदन का विस्तृत विज्ञापन

मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, 2x45 मेगावाटरानी अवन्ती बाई सागर जल विद्युत गृह बरगी नगर, जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश के मूलनिवासी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने आई.टी.आई. (एन.सी.वी.टी./एस.सी.वी.टी.) उत्तीर्ण की हो, को अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत, इलेक्ट्रीशियन, फिटर में ट्रेड अप्रेंटिस (एक वर्षीय) शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित है। 2x45 मेगावाट रानी अवन्ती बाई सागर जल विद्युत गृह बरगी नगर, जबलपुर में ट्रेड अप्रेंटिस (एक वर्षीय) हेतु कुल रिक्तियाँ 10 हैं, जिनका ट्रेड वार विवरण निम्नानुसार है-

आई.टी.आई.अप्रेंटिस

क्र.	व्यवसाय	सामान्य	ओ.बी.सी.	अ.ज.जा.	अ.जा.	इ.डब्ल्यू.एस.	दिव्यांग	कुल योग
1.	विद्युतकार	1	1	2	1	1	0	6
2.	फिटर	0	1	0	1	0	0	2
3.	डीजल मैकेनिक	1	0	0	0	0	0	1
4.	वैल्डर	1	0	0	0	0	0	1
	कुल	3	2	2	2	1	0	10

नोट:-

- उक्त रिक्तियाँ केवल म.प्र. के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिये संलग्न प्रपत्र-I के अनुसार अप्लाई करें। आवेदन अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30/10/2026 है।
- विभिन्न वर्गों का आरक्षण, म.प्र. शासन के नियमानुसार किया जावेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. के निर्णयानुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

प्रशिक्षण के लिए लागू नियम व शर्तें—

01- शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता-शासन के नियमानुसार संबंधित विषय में—

- i. आई.टी.आई.अप्रेंटिस-शासकीय/अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से, एस.सी.व्ही.टी, एन.सी.व्ही.टी. आई.टी.आई. उत्तीर्ण।

02-पात्रता:—

- (अ) उम्मीदवार किसी भी स्थापना संस्था में इस से पूर्व अप्रेंटिसशिप हेतु पंजीकृत न हुआ हो।
- (ब) प्रशिक्षुओं का चयन उनके शाखा/व्यवसाय के कुल प्राप्तकों ;सी.जी.पी.ए.द्ध की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) के आधार पर किया जावेगा।

03- प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण समाप्त होने पर म.प्र.पा.जं.कं.लि. द्वारा नियुक्ति देने की बाध्यता नहीं होगी।

04. ऑन-लाइन आवेदन पत्र में अपूर्ण/त्रुटि पूर्ण जानकारी अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

05. प्रशिक्षुओं को आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। प्रशिक्षण अवधि के दौरान कम्पनी के आवास रिक्त होने की स्थिति में उपलब्धतानुसार ही निर्धारित शुल्क आधार पर आवास सुविधा प्रदान की जावेगी।

06. आवेदक को भारत सरकार के अप्रेंटिस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। आवश्यक दिशा निर्देश हेतु आवेदन समय-समय पर अपनाई-मेल आई.डी. तथा कंपनी की वेबसाइट <http://mppgcl.mp.gov.in> भी देखते रहें।

07. वरीयता प्राप्त आवेदकों को अपना आमंत्रण ऑफरलेटर अप्रेंटिस पोर्टल <http://apprenticeshipindia.in> पर उनके अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल पर भेजा जावेगा, एवं किसी भी तरह का पत्राचार उनके ई-मेल आई.डी. पर ही किया जावेगा।

अतः आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपना प्रोफाइल लगातार देखते रहें तथा अपनाई-मेल आई.डी.

आवेदन करने से पहले बनालें जो कम से कम एक साल के लिये वैध हो।

08. अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी./विकलांग के लिये आरक्षण अप्रेंटिसशिप एक्ट के प्रावधानों के अनुसार रहेगा।

09. उचित कारण मिलने पर किसी भी प्रशिक्षु का चयन रद्द करने का अधिकार म.प्र.पा.जं.कं.लि. बरगी नगर अपने पास सुरक्षित रखता है।

10. आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक होगा। जबलपुर जिले के रहवासियों को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

11. चयनित अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को सुरक्षा की दृष्टि से दुर्घटना संबंधी बीमा कराना आवश्यक होगा, जिसकी पॉलिसी की प्रतिकायालय में उपलब्ध करानी होगी।

12. शासन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, बीमा पॉलिसी, चिकित्सा प्रमाण-पत्र एवं आधारकार्ड की फोटो प्रति, 500 रुपये के स्टाम्पपेपर पर अनुबन्ध इत्यादि आवश्यक रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराये जाना होगा।

13. आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी कम्पनी की वेबसाइट <http://mppgcl.mp.gov.in/careers.html> पर उपलब्ध है।

14. आरक्षण एवं आयु में छूट:—

- i. चयन प्रक्रिया में अनु.जाति/अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. तथा दिव्यांग आरक्षण नियम (संशोधित) 2019 एवं राज्य शासन के नियमानुसार देय होगा। यदि अनु.जाति/अ.ज.जा.संवर्ग में निर्धारित संख्या

में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो उक्त संवर्ग की रिक्तियों को आपस में भरा जावेगा। तदोपरान्त रिक्तर होने पर अन्य संवर्गों से भरा जा सकेगा।

- ii. रिक्तियों की संख्या अंतिम है तथा रांगीक्षा के दौरान यह संख्या परिवर्तित हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न वर्गों/श्रेणियों हेतु आरक्षितपदों की संख्या भी पुनरीक्षित हो सकती है।
- iii. सभी वर्गों में उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु की संगणना तिथि 01.07 2026 के आधार पर की जावेगी।

- iv. सामान्य वर्गों में उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 27 वर्ष होगी तथा अनु.जाति/अ.ज.जाति/अ.पि.वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष एवं दिव्यांग को 10 वर्ष की छूट रहेगी।
- v. शिक्षता प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष रहेगी।

15. चयन प्रक्रिया:-

- i. अर्हता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदनों की छंटनी की जावेगी। तत्पश्चात्, म.प्र.पा.जं.कं.लि.बस्ती नगर द्वारा प्राप्त हुए आवेदन में आई.टी.आई.अप्रेंटिस शिप हेतु आई.टी.आई.में प्राप्त सीजीपीए (सेमेस्टर के औसत) अंको के प्रतिशत के आधार पर योग्यता क्रम में रितलिस्ट में चयन किया जावेगा। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी। आवश्यकता होने पर वेटिंगलिस्ट से चयन किया जायेगा।
- ii. उम्मीदवार केवल एक ही ट्रेड में आवेदन भर सकता है।
- iii. निर्धारित समयावधि में ज्वाइन न करने पर चयन निरस्तकर दिया जावेगा।

16. स्टाइपेण्ड (प्रशिक्षु वृत्ति) :

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशानुसार स्टाइपेण्ड देय होगा, जो वर्तमान में निम्नानुसार है:-

क्र.	शैक्षणिक योग्यता	स्टाइपेण्ड (रु.में)
01	आई.टी.आई. (NCVT/SCVT) (एक वर्षीय कोर्स)	10560/- प्रतिमाह
02	आई.टी.आई. (NCVT/SCVT) (दो वर्षीय कोर्स)	11040/- प्रतिमाह

नोट:-इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते/लाभ की पात्रता नहीं होगी।

17. चिकित्सा/स्वास्थ्य मानक:-

- i. किसी योग्य व पात्र आवेदक का अंतिम चयन चिकित्सा फिटनेस जो कि जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है के आधार पर ही किया जावेगा।
- ii. दिव्यांग उम्मीदवार को उचित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अक्षमता होने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा। जोखिम पूर्ण ट्रेड को छोड़कर अन्य ट्रेड में दिव्यांगों हेतु आरक्षण राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा।

18. आवेदन कैसे करें-

आई.टी.आई उत्तीर्ण उम्मीदवार शासन की वेबसाइट www.apprenticeship.gov.in के माध्यम से दिनांक 30/10/2026 की मध्य रात्री समय 11:59 बजे तक ऑनलाइन पद्धति से भरा जा सकता है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेंगे।

➤ आई.टी.आई उम्मीदवारों हेतु आवेदन प्रक्रिया-आवेदन से पूर्व उम्मीदवार का अप्रेंटिसशिप पोर्टल www.apprenticeship.gov.in/ पर पंजीकरण अनिवार्य है, यदि उम्मीदवार ने पंजीकरण नहीं करवाया है तो निम्न प्रक्रिया अनुसार पंजीकरण कर सकते हैं।

- i. सर्व प्रथम कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के वेबसाइट www.apprenticeship.gov.in पर Toolbar में Apprentices- Candidate Registration पर Click करें।
- ii. आपको www.apprenticeship.gov.in/register/candidate/link दिखाई देगी उस पर Click करने से नया पेज खुल जायेगा।
- iii. Toolbar में Registration बटन पर Click करें। "Register as Candidate" विकल्प का चयन करें।
- iv. व्यक्तिगत विवरण (Personal Details) section में आधार नम्बर, वर्ग (General/OBC/SC/ST) नाम, पिता का नाम जन्म जाति तथा लिंग की प्रविष्ट करें।
- v. Contact Details Section में अपना पूरा पता, मोबाईल नम्बर एवं E-mail ID व पासवर्ड प्रविष्ट करें। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर लॉगिन करने के लिये इसी E-mail ID एवं पासवर्ड का उपयोग करें।
- vi. Qualification section में अपनी तकनीकी (Technical) व शैक्षणिक (Academic) योग्यता की जानकारी प्रविष्ट कर संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करें।
- vii. Preference section में शिक्षुता प्रशिक्षण के लिये आप अपने Sector /व्यवसाय (Trade) की प्रथमिकता का चयन करें।
- viii. चौथे चरण में (Fourth Stage) में अपना फोटो, जन्मतिथि प्रमाण पत्र व स्वयं के हस्ताक्षर अपलोड करें व Continue पर Click करें।
- ix. अंतिम पेज पर आपके द्वारा भरी गई जानकारी का प्रिव्यू प्राप्त होगा। Edit बटन पर click करके जानकारी में परिवर्तन किया जा सकता है सभी जानकारी सही होने पर confirm बटन पर Click करके पंजीयन की प्रक्रिया को पूर्ण करें।
- x. Candidate Registration की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त आपके द्वारा Contact Details में दिये गये E-mail ID एवं पासवर्ड से अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं।

19. महत्वपूर्ण निर्देश एवं शर्तें-

- i. उम्मीदवार कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि, शिक्षुता प्रशिक्षण के लिये आवश्यक योग्यता रखते हैं तथा उनके द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ सही हैं।
- ii. यदि चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय यह ज्ञान होता है कि, उम्मीदवार निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करते हैं और हमारी आवश्यकताओं पर खरे नहीं उतरते हैं अथवा उन्होंने कोई भी जानकारी छुपाई है, तो उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जावेगा एवं प्रशिक्षण समाप्ति जैसी सख्त कार्यवाही की जा सकती है।

- iii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग उम्मीदवार कृपया अपनी श्रेणी ध्यान पूर्वक भरें चूंकि बाद में उनके द्वारा गरी गई कोई भी जानकारी किसी परिस्थिति में बदली नहीं जावेगी।
- iv. यदि उम्मीदवार अपने ऑनलाइन आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहता है, तो "Edit my profile" में जाकर परिवर्तन कर सकता है।
- v. विज्ञापन के आधार पर किये गये आवेदन पर किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही का निपटारा शिक्षता अधिनियम 1961 (यथा संशोधन) के प्रावधानों के आधार पर किया जावेगा।
- vi. उम्मीदवार चयन हेतु म.प्र.पा.ज.क.लि. रानी अवन्ती बाई सागर जल विद्युत गृह बरगी नगर जबलपुर द्वारा बनाए गए एवं भविष्य में बनाए जाने वाले सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
- vii. आवेदन कर्ता को कोरोना से बचाव के दोनों टीके लगे होने का प्रमाणपत्र जमा करना आवश्यक होगा।
- viii. शिक्षता अधि में उम्मीदवारों को 13 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश तथा साप्ताहिक अवकाश की पात्र तार हेगी।
- ix. दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी क्षतीपूर्ती नियम 1923 लागू होगा।
- x. म.प्र.पा.ज.क.लि. रानी अवन्ती बाई सागर जल विद्युत गृह बरगी नगर जबलपुर को बिना पूर्व नोटिस या कारण बताए, चयन प्रक्रिया को रद्द करने/सीमित करने/बढ़ाने का अधिकार होगा।
- xi. चयन न होने की स्थिति में उम्मीदवारों द्वारा कोई भी पत्राचार या पूछताछ स्वीकार नहीं की जावेगी।
- xii. उम्मीदवार ध्यान रखे कि शिक्षता अधिनियम 1961 की कंडिका 22 (1) के अनुसार यह विज्ञापन शिक्षता प्रशिक्षण के लिए है, नौकरी या रोजगार के लिए नहीं। प्रशिक्षण के उपरांत म.प्र.पा.ज.क.लि. रानी अवन्ती बाई सागर जल विद्युत गृह बरगी नगर जबलपुर किसी भी उम्मीदवार को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही इस सम्बंध में कोई विचार किया जावेगा।
- xiii. शिक्षता अधिनियम 1961 की कंडी का 2(1) एवं (2) के अनुसार शिक्षकों को प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र प्रदान किया जावेगा।

(विवेक बाइल)

अति. मुख्य अभि. (सं./सं.)

म.प्र.पा.ज.क.लि. बरगीनगर

अप्रेंटिस पोर्टल पर पंजीयन कैसे करें:-

अप्रेंटिस (शिक्ष) पंजीकरण:-

01. सर्व प्रथम कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की वेसाइट www.apprenticeship.gov.in पर Apprentices मीनू पर Click करें।
02. अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन पर Click करें, अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिये रजिस्ट्रेशन फार्म खुल जायेगा।
03. Candidate Type के Drop Down List पर Click करें व उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
04. जन्मतिथि डालने के लिये कैलेंडर की सहायता से वर्ष, माह एवं दिनांक पर Click करें।
05. आई.टी.आई उत्तीर्ण छात्र अपना NCVT/SCVT प्रमाण-पत्र नम्बर डाले व ट्रेड का चयन करें।
06. अब अपना नाम, पिता व माता का नाम, जेन्डर एवं आधार कार्ड नम्बर डालें (आपकी जानकारी आधार कार्ड की जानकारी से मेल खानी चाहिए) कैटेगिरी में अपनी जाति का चयन करें।
07. कॉन्टेक्टडिटेल् के सेक्शन में अपना पता, मोबाइल नम्बर एवं ईमेल आई.डी. अंकित करें।
08. क्वालिफिकेशन डिटेल् के सेक्शन में अपनी उच्चतम योग्यता पर Click करें व प्रमाणपत्र संलग्न करें।
09. टेक्नीकल क्वालिफिकेशन सेक्शन में अपनी संस्था का नाम, ट्रेड एवं कोर्स प्रारम्भ एवं समाप्ति दिनांक का चयनकरें तथा ऐडबटनपर Click करें।
10. प्राथमिकता अनुसार ट्रेड का चयन करें एवं सिलेक्ट फर्स्ट प्रिफरेंस पर Click करें।
11. अपना पास पोर्ट साइज फोटो एवं जन्मतिथि प्रमाण-पत्र में दिये गये नम्बर को टाइपकरें, डिक्लेरेशन चैक बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करें।
12. प्रिव्यू में आपकी जानकारी को चैक करें यदि जानकारी सही है ओके बटन पर क्लिक करें।
13. नई विन्डो में आपके फार्म की सबमिट होने की जानकारी प्राप्त होगी व आप के ई-मेलपर एक्टिवेशन लिंक प्राप्त होगी।
14. अपना ई-मेल एकाउन्ट ओपन करे व डीजीटी से प्राप्त एक्टिवेशन लिंक पर Click करे जिससे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त होगा जिसका प्रिन्ट आउट निकाले।



(विवेक बाइजल)

अति. मुख्य अभि. (सं./सं.)

म.प्र.पॉ.ज.क.लि. बरगीनगर

आवेदन करने की प्रक्रिया

आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी:-

● ऑनलाईन प्रक्रिया:-

01. अप्रेंटिस के लिये आवेदन करने के लिये www.apprenticeship.gov.in वेबसाइट पर Establishment Menu पर Click करें।
02. Establishment सर्च Option पर Click करें एवं अपनी Choice के अनुसार राज्य व जिले का चयन करें Option पर Click करें जिसमें आपको प्रतिष्ठानों की जानकारी प्राप्त होगी।
03. प्रतिष्ठान पर Click करके उस प्रतिष्ठान के ट्रेड व सीट की जानकारी प्राप्त होगी।
04. यदि आप प्रतिष्ठान में Apprenticeship के लिये आवेदन करना चाहते हैं तो Apply Link पर Click करें।
05. खुले हुये पॉप अपपर अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर, जन्मतिथि व ई-मेल आई.डी. प्रविष्टि करें एवं कैप्चा ईमेज में दिये गये नम्बर को टाइप करके Apply Button पर Click करें। स्क्रीन पर आपको Applied Successfully का मैसेज प्राप्त होगा।
06. यदि आपकी Application प्रतिष्ठान स्वीकार कर लेता है तो आप के ई-मेल आई.डी. पर एक ऑफर लेटर भेजी जायेगी ऑफर Link पर आप अपना Signature Upload कर ऑफर Accept करें। प्रतिष्ठान द्वारा आपका आवेदन Approve करने पर Contract जनरेट हो जायेगा व आपकी ट्रेनिंग प्रारम्भ हो जायेगी।



(विवेक बाज़ल)

अति. मुख्य अभि. (सं./सं.)

म.प्र.पॉ.ज.क.लि. बरगीनगर